1

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

AF 347076

राजस्थान RAJASTHAN

NOTARY N.K. SAINI JAIPUR (RAJ.) Regn. No. 12149 Comm. Expireds on 04/12/2026 GOVT. OF INDIA

06 JAN 2026
584

:: श्री ::

—: किरायानामा :—

यह किरायानामा आज दिनांक 09.01.2026 को श्री लोकेश पुरोहित पुत्र श्री राजीव पुरोहित, निवासी किराडुओ की गली, रघुनाथ सर मंदिर के पास, साले की होली, बीकानेर, राजस्थान – 334001 एवं आधार नम्बर 6862 7891 4514, जिन्हें इस किरायेनामे में प्रथमपक्ष "किरायेदार" के नाम से जाना जायेगा एवं शब्द प्रथमपक्ष में किरायेदार के साथ विधिक वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न आदि भी सम्मिलित एवं पाबन्द समझे जावेंगे।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष / किरायेदार
मो. नम्बर 9024426629

ब ह क

श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा निवासी 6, शिवपुरी आर्यनगर, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान एवं आधार नम्बर 9482 2931 3891 जिन्हें इस किरायेनामे में द्वितीय पक्ष "सम्पत्ति मालिक" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। किरायेनामे की शर्तों से दोनों पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारी, वारिसान, प्रतिनिधि इत्यादि पाबंद समझे जावेंगे।

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA
10 JAN 2026

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष / सम्पत्ति मालिक
मो. नम्बर 9828334351

Saroj Sharma

यह कि द्वितीय पक्ष का मालिकाना हक स्वामित्व व कब्जे कि एक अचल सम्पत्ति 1BHK फ्लेट नम्बर 317, तृतीय मंजिल, गेलेक्सी स्टार, सेन्ट्रल स्पाईन, विधाधर नगर, जयपुर – 302039, राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित निर्मित संपूर्ण फ्लेट को हर प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश, किराये, लीज पर देने आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण स्वम्वाधिकार मालिकाना हक द्वितीय पक्ष को प्राप्त है। उक्त सम्पत्ति फ्लेट को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से अपने व अपने परिवार के आवास हेतु 11 माह के लिये निम्न शर्तों पर किराये पर लिया है:–

1. यह है कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से राशि 12,000/– रूपये (अक्षरे बारह हजार रूपये) प्रतिमाह मय मासिक मेंटेनेंस चार्जेज (750/– रूपये) के साथ, अलावा बिजली खर्च के किराये पर ली। जिसके पेटे प्रथम पक्ष से 1 माह का किराया राशि 12,000/– रूपये अक्षरे बारह हजार रूपये एवं एक माह की सिक्यूरिटी राशि 12,000/– रूपये अक्षरे बारह हजार रूपये कुल राशि 24,000 /– रुपये जरिये नकद/ऑनलाईन बतौर एडवान्स प्राप्त कर लिये हे।
2. यह है कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति की किरायेदारी दिनांक 09 जनवरी 2026 ईस्वी से लागू व मान्य है। उक्त किराये की राशि खाता सख्यां 10402220754 जो कि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा : सिंधी कॉलोनी बनीपार्क एवं आई.एफ.सी. कोड SBIN0006492 में जमा करवाकर सूचना फ्लेट मालिक को देगा।
3. यह कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति का सोसायटी मेन्टीनेन्स चार्ज (जो कि वर्तमान में 750/– रूपये मासिक है) किराया राशि में ही सम्मलित है परन्तु यदि भविष्य में मेन्टीनेन्स चार्ज में बढोतरी होती है तो उसका वहन प्रथम पक्ष किरायेदार को अलग से करना होगा।
4. यह है कि प्रथम पक्ष किरायेदार ने सिक्योरिटी राशि जो द्वितीयपक्ष सम्पत्ति मालिक को जमा करवाई है। वह राशि फ्लेट खाली करते समय बकाया राशि (यदि कोई निकली तो) को समायोजित कर शेष राशि बिना ब्याज वापिस लौटा दी जावेगी । उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा।
5. यह है कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रथम पक्ष ने अच्छी हालात में प्राप्त कर लिया है। जिसे प्रथम पक्ष दुरूस्त हालत में रखेगा किसी तरह की तोडफोड, एडीशन, आल्ट्रेशन बिना द्वितीय पक्ष की लिखित सहमति के नहीं करेगा।
6. यह है कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति के किराया की राशि प्रथम पक्ष हर माह की 09 से 15 तारीख तक द्वितीय पक्ष को नकद/ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा अदा कर देगा।

Manoj Sharma

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA
10 JAN 2026

NOTARY N.K. SAINI JAIPUR (RAJ.) Regn. No.: 12149 Comm. Expires on 04/12/2026 GOVT. OF INDIA

7. यह है कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति में बिजली की राशि मीटर की रीडिंग के अनुसार प्रथम पक्ष किराया राशि के अलावा द्वितीय पक्ष को अदा करेगा, बिजली का खर्चा किराया राशि के साथ अदा नहीं करने पर द्वितीय पक्ष को बिजली के कनेक्शन काटने का अधिकार होगा।

8. यह है कि प्रथम पक्ष को उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति में किसी प्रकार की तामीरात, तरमीम, तनसीक परिवर्तन परिवर्द्धन आदि करवाने का अधिकार नहीं होगा ओर प्रथम पक्ष किरायेशुदा सम्पत्ति के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर कब्जा इत्यादि नहीं करेगा ओर ना ही सामान इत्यादि रखेगा।

9. यह है कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के हित में सबलेट या पार्टविथ पजेशन के आधार पर कब्जा हस्तान्तरित नहीं करेगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा तथा मांस, मदिरा, विस्फोटक जैसी साम्रगी इत्यादि का भी उपयोग नहीं करेगा, जिससे द्वितीय पक्ष या अन्य किसी को किसी प्रकार की परेशानी या क्षति उत्पन्न हो।

11. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से उक्त किरायाशुदा सम्पत्ति को आवासीय उपयोग के लिये किराये पर ली हे। उक्त उपयोग के अलावा प्रथम पक्ष इसमें अन्य कोई उपयोग नहीं करेगा। यदि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति प्रथम पक्ष किसी प्रकार का अन्य कोई अनैतिक कार्य करता है तो द्वितीय पक्ष को उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति को प्रथम पक्ष से खाली करवाने का पूर्ण अधिकार होगा ।

12. यह कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति की अवधि ग्यारह माह की है। प्रथम पक्ष अगर ग्यारह माह की अवधि के पश्चात भी सम्पत्ति को किराये पर रखना चाहेगा तो द्वितीय पक्ष की लिखित सहमति लेकर किराया राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को अदा करेगा।

13. यह कि दिनांक 09.01.2026 से आगामी 06 माह की अवधि लॉकिंग पिरियड की रहेगी तथा यदि 06 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रथम पक्ष किरायेदार उक्त फ्लेट को खाली करता है तो उसके द्वारा भुगतान की गयी सिक्योरिटी डिपोजिट राशि 11,250/- रूपये अक्षरे ग्यारह हजार दो सौ पचास रूपये द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को वापस नहीं लौटायी जावेगी। जिससे प्रथम पक्ष पूर्णतया सहमत है।

NOTARY N.K SAINI Jaipur (RAJ.) GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

Manoj Sharma

10 JAN 2026

21. यह कि किरायेनामे के स्टाम्प सम्बन्धित समस्त खर्चा प्रथम पक्ष ने वहन किया है।

22. यह है उक्त फ्लेट में द्वितीय पक्ष के स्वामित्व का 01 कुलर चालू अवस्था में तथा 01 अलमीरा लगी है जो की सभी दुरूस्त हालात में लगे है जिन्हें प्रथम पक्ष को फ्लेट खाली करते समय सही एवं चालू हालात में संभलाना होगा।

23. यह कि यह किरायानामा राजस्थान किराया अधिनियम के अनुसरण में लिखा गया है यदि राजस्थान किराया अधिनियम अगर कोई संशोधन होता है तो वह भी दोनों पक्षों पर लागू होगा तथा उक्त किरायानामा की शर्तो की पालना नहीं करने पर एक पक्ष को दूसरे पक्ष के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अतः यह किरायानामा प्रथम पक्ष ने अपनी राजी, खुशी, स्वस्थ्य चित्त बुद्धि व पूर्ण होश, हवास की दुरूस्ती बिना किसी जब्र व दबाव के स्वेच्छा पूर्वक 500 रूपये के एक किता स्टाम्प व चार पाई पेपरों पर टाईप करवा कर द्वितीय पक्ष के हित मे लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक : 09.01.2026

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष किरायेदार

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष सम्पत्ति मालिक

ह0 गवाह — 1

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

ह0 गवाह — 2

10 JAN 2026